

## FORM NO. III

फर्दअहकाम

( नियम- 26 )

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ) सिवाना जिला बालोतरा

वादी/वादीगण	बनाम	प्रतिवादी/प्रतिवादीगण
पांचीदेवी पत्नी रामाजी जाति राजपुरोहित निवासी असाड़ा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1 मलसिंह पुत्र पोलाराम उर्फ पेलाद जाति पुरोहित निवासी असाड़ा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 2 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा 3 उप पंजीयक सिवाना जिला बालोतरा 4 शाखा प्रबंधक एस.बी.आई बैंक शाखा इन्द्राणा

किस्म मुकदमा.....धारा 88,53,188 RT Act.

मुकदमा नंबर:- 151/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
14.11.2025	वादीनी पांचीदेवी की ओर से वकील श्री महेन्द्रसिंह सोढ़ा ने यह वाद पत्र प्रतिवादी मलसिंह वगैरह के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act. का प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 28.11.2025 को पेश हो।  (सुरेन्द्र सिंह खंगारोत) सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना	
28-11-2025	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपाक्षित। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन पेश करे, सम्मन पेश करे पर जारी चेकर पत्रावली आर्डर 07.01.2026 को पेश है।  सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना	net bress 18.12.25
07-01-2026 18-12-2025	वादी वकील के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली भाज तलब की गई। वादी वकील ने प्रकरण में 'नो इंस्ट्रुक्शन' प्लीड लिखा। वादी को न्यायालय सम्मन में तीन-तीन बार आवाज दिलाई गई, मगर उनसे कोई उपाक्षित नहीं हुए। लिहाजा वादी का वाद जस्टिस 'नो इंस्ट्रुक्शन' आधारित लिखा जा रहा है। पत्रावली जैसल कुमार चेकर दाखिल रफ्तार है।  सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना	

